न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/00046)

निर्णय दिनांकः– 16/12/22

1. पन्नीदेवी पत्नी स्व. धुड़ाराम जाति बलाई निवासी ग्राम खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. राधेश्याम पुत्र स्व. धुड़ाराम जाति बलाई निवासी ग्राम खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. गोपालराम पुत्र स्व. धुड़ाराम जाति बलाई निवासी ग्राम खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर।
4. तुलचीदेवी पुत्री स्व. धुड़ाराम जाति बलाई निवासी ग्राम खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये पैरोकार राज।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09–01–1990
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 09–01–1990 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता/पति का आवंटन किश्तों/कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को चक 7 जीएम के मुरब्बा नम्बर 13/21 के किला नम्बर 1 4 ता 9, 11 ता 25 तादादी 22 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन वर्ष 1976 में किया गया था। आवंटन की दिनांक से ही आवंटी मौके पर काबिज काश्त रहा है तथा वर्तमान में अपीलांट्स का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलांट्स के पिता का आवंटन पश्चात् व वर्तमान में अपीलांट्स का वादगत् भूमि का कब्जा रहा है।परन्तु वादगत् भूमि अनकमाण्ड होने तथा वर्षो से वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सका। अपीलांट बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन किश्तों/कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–1990 के विरूद्व अपील दिनांक 29–01–22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6 (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–1990 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 29–01–2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट्स के पति/पिता ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक 7 जीएम के मुरब्बा नम्बर 13/21 के किला नम्बर 1, 4 ता 9, 11 ता 25 भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाई गई। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आवंटी द्वारा अपने आवंटन से अब तक कोई किश्त (एक भी) जमा नहीं करवाई गई है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी करते हुए बकाया राशि जमा कराने हेतु लिखा गया था। अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस की अनुपालना में बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत ने अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकार भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 की धारा 17 (8) में जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि Provided that if any two consecutive installments shall remain unpaid the allotment of land shall be liable to cancellation at the discretion of the Allotting Authority (After giving fifteen days show cause notice to the allot tee) and upon such an order of cancellation of allotment, the land shall revert to the State Government without payment of any compensation and the Allotting Authority shall be free to allot it to any other eligible person. के प्रावधानों के तहत अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रिकार्ड हो ताकि अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 09–01–1990 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आजा दिनांक 16-11-2022 लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर